

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**


पार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
53/019	53, 88, 89, 91, 92, 92A आर टी	बिंदरडी	२७३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मोहन लाल	बनाम	श्रीमा उर्फ श्री लाल कौठ	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

**दिनांक** **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

28/6/19  
अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92, 92A आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 22/7/019 को पेश हो।


22/7/19  
अज्ञा पीढासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/8/019 को पेश हो।

  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

26/8/19  
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी श्रेय श्री लाल उपस्थित। उन्नी और श्री लालिक सिंह एडवो. द्वारा अउडर कैमिंग पेश की है वास्ते पत्रावली दिनांक 25/9/019 को पेश हो।

25/9/19  
पत्रावली पेश हुई। उन्नी पत्रावली उपस्थित। प्रतिवादी गणों की ओर से वकालत नाम पेश नहीं हुआ। उन्नी पत्रावली है वास्ते वकालत नामों / पत्रावली पत्रावली दिनांक 30/9/019 को पेश हो।

30/9/19  
अज्ञा पीढासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14/11/019 को पेश हो।

  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

श्री मा  
 vudentak  
 J  
 जलमन सिंह  
 पत्रावली पेश।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकोठ उपा. संशोधित शरीरक पेश नहीं हुआ। मरण चाहते हैं। पत्रावली काटे संशोधित शरीरक दिनांक 5.2.25 को पेश हो।

5.2.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकोठ उपा. संशोधित शरीरक पेश नहीं हुआ। मरण चाहते हैं। पत्रावली काटे संशोधित शरीरक दिनांक 10.2.25 को पेश हो।

10.2.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकोठ उपा. वकील काही द्वारा जानपत्र करारन धारा 209 RTI पेश किया जो शा. छि किया गया। पत्रावली काटे संशोधित शरीरक/ वदम जानपत्र दिनांक 4.3.25 को पेश हो।

4.3.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकोठ उपा. संशोधित शरीरक पेश नहीं हुआ। मरण चाहते हैं। पत्रावली काटे संशोधित शरीरक/ वदम जानपत्र दिनांक 19.3.25 को पेश हो।

19.3.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकोठ उपा. संशोधित शरीरक पेश नहीं हुआ। मरण चाहते हैं। पत्रावली काटे संशोधित शरीरक/ वदम जानपत्र धारा 209 दिनांक 21.4.25 को पेश हो।

21.4.25 आज पी.सी.सी. अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक... 21.4.25 को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

Handwritten signature/initials.

2.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकोठ उपा. वकील काही उकरण को काटे मरणक नहीं चाहते हैं उकरण को Not Press करा चाहते हैं काही का कास Not Press किया गया जो पत्रावली काटे संशोधित शरीरक दिनांक 2.6.25 को पेश हो।